लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157

24 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

एफएसएनएल में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां

1157. श्री राजेश वर्माः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को एफएसएनएल में अनुबंध आधार पर पुनः नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तें क्या हैं और उन्हें कितना पारिश्रमिक तथा अन्य लाभ/सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को उच्च पद और वेतनमान दिए जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इससे उच्च पद के लिए योग्य सेवारत कर्मचारियों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख) : फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा रहा है। तथापि, निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एफएसएनएल के चार सेवानिवृत्त कार्यपालकों को प्रशिक्षक और सलाहकार के रूप में एक नियत अवधि के लिए उनके द्वारा अधिवर्षिता के समय आहरित मूल वेतन के समकक्ष एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें कंपनी के नियमों के अनुसार और उनकी अधिवर्षिता की तिथि पर उनकी हकदारियों के अनुसार 1500 रुपये प्रतिमाह का परिवहन प्रभार, आकस्मिक अवकाश और यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा कंपनी की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवरेज की सुविधा देय है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****